कार्यालय–जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्याः– 724 / सी0पी0ओ0–डी0एम0–2017–देहरादून दिनांक– 24 अगस्त, 2017

1– अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण, देहरादून।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, देहरादून।
3– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश।
4– अधिशासी अभियन्ता, नेशनल हाइवे, डोईवाला।
5– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, चकराता / सहिया।

कार्यालय महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला 676 30 AUG 2017 बी.एस.एन.एल. देहरादून

डी0ई0 ट्रान्समिशन नोडल ऑफिसर एन0ओ0एफ0एन0 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद देहरादून में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत विकासखण्ड डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर तथा रायपुर क्षेत्र में केबिल लाईनिंग का कार्य भारत संचार मंत्रालय के निर्देशानुसार 30 दिसम्बर 2017 तक पूरा किया जाना है। किन्तु इस ओर लोक निर्माण विभाग का अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। जबकि प्रदेश में उक्त नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के निर्विवाद, सफल एवं सुचारू रूप से संचालित हेतु पूर्व में निर्देश जारी किये गये। नोडल अधिकारी एन0ओ0एफ0एन0 द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना को ससमय कार्य पूर्ण करने में अपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया गया है।

अतः कृपया नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना को केबिल लाईनिंग कार्य हेतु अपेक्षित सहयोग एवं अनुमति तद्नुसार निर्गत करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र व सूची की प्रति संलग्न है।

(एस.ए. मुरूगेशन)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– डी0ई0 ट्रान्समिशन नोडल ऑफिसर एन0ओ0एफ0एन0, ओ0एफ0सी0, ट्रान्समिशन डिविजन, जी0एम0टी0डी0 पटेलनगर, टेलीफोन एक्सचेंज देहरादून को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ।

24/8/17.
जिलाधिकारी,
देहरादून।

Scanned by CamScanner

754/C

संख्या 366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। देहरादूनः दिनांक 08 अगस्त 2014

विषयः– प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) केबिल बिछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज वेहिकिल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्रति संलग्न) को हस्ताक्षारित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएं लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले भूमि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इम्लीमेंटेशन एजेंसी है, को प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लेनी पड़े, इस हेतु ब्लैंकेट अप्रूवल एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत आप्टिकल फाइबर केबिल (OFC) बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर– 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भाँति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में ले आई जाए। सड़क की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। पक्की सड़क

Endo. No:– UKD/CFA/NOFN/Tender (Con)/13-14/74 Dt- 19/8/14
Copy to:– (1) All SSA Heads of UKD Circle for info. & n/a.
(2) DGM (TP-II) Dehradun for info. & n/a.

सहायक महाप्रबंधक (बी.बी.)
कार्या. मुख्य महाप्रबंधक (बी.एस.एन.एल.)
उत्तराखण्ड दूरसंचार परिमंडल, देहरादून

को पार करने के लिए एच0डी0 अथवा हॉरिजेन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जायेगा। ताकि सडक को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) चार्जेज अधिरोपित नहीं किये जायेंगें। इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायेगा।.

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विवाद,सफल एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:-

1- जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2--मुख्य विकास अधिकारी-	सदस्य सचिव
3-अधिशासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग-	सदस्य
4-अधिशासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-	सदस्य
5-अधिशासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग-	सदस्य
6-अधिशासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग-	सदस्य
7-अधिशासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष,पेयजल विभाग-	सदस्य
8-प्रभागीय वनाधिकारी-	सदस्य
9-जिलापंचायतीराज अधिकारी-	सदस्य
10-सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/नगर अधिकारी-	सदस्य
11-अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित-	सदस्य

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

II(GO) 2

संख्या 366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0 उत्तराखण्ड शासन।
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड देहरादून।

6 .गार्डफाईल।

आज्ञा से,
(रविनाथ रामन)
अपर सचिव

It (GO)- 3

प्रधान
जलमा देवी

निवास :
ग्राम दुधई, पो0आ0 कोटी
वि0ख0 सहसपुर (देहरादून)
मो0 8449673770, 7579011273

पत्रांक...मैमो...............

दिनांक........................

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतो को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य बी०एस०एन०एल द्वारा किया जा रहा है इस कार्य को करने मे हम सभी ग्रामवासियो को कोई आपत्ति नही है, क्योंकि यह कार्य जनहित मे किया जा रहा है।

प्रधान ग्राम पंचायत दुधई
ह० जलमा देवी
दि० 14/2/018
वि०ख० सहसपुर (देहरादून)

Scanned by CamScanner

[illegible]

Scanned by CamScanner

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य बी० एस० एन० एल० द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य को करने में हम सभी ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह कार्य जनहित में किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत दुधई

विकास खण्ड सहसपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रधान

जलमा देवी

निवास :
ग्राम दुधई, पो0आ0 कोटी
वि0ख0 सहसपुर (देहरादून)
मो0 8449673770, 7579011273

पत्रांक...मेमो.............. दिनांक........................

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य बी०एस०एन०एल द्वारा किया जा रहा है इस कार्य को करने में हम सभी ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह कार्य जनहित में किया जा रहा है।

प्रधान ग्राम पंचायत दुधई
ह० जलमा देवी
दि० 14/2/018
वि०ख० सहसपुर